निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1269) पटना, वृहस्पतिवार, 21 नवम्बर 2019

सं० 08 / नि०था०–11–07 / 2015–सा०प्र०–14290
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 अक्टूबर 2019

श्री शिव शंकर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–630 / 11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर को राजगीर मलमास मेला, वर्ष–2015 के बन्दोवस्ती में अनियमितता बरते जाने एवं निगरानी थाना कांड–55 / 2015 दिनांक 11.07.2015 दर्ज किये जाने, अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जाँच में सहयोग नहीं करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2546, दिनांक 18.02.2016 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–6774 / 2016 दायर किया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 04.07.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री शिव शंकर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–630 / 11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर के निलंबन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2546, दिनांक 18.02.2016 को वापस लिया गया।

2. विभागीय स्तर पर कार्रवाई के निमित्त गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–9933, दिनांक 19.07.2016 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण माँगी गयी। श्री प्रसाद के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०–55 / 2015 दिनांक 11.07.2015 के संबंध में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–113, दिनांक 03.06.2016 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी। मामले की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (1) में निहित प्रावधानों के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 11060 दिनांक 12.08. 2016 द्वारा श्री शिव शंकर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–630 / 11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

3. आरोप प्रपत्र–'क' एवं श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रांक–शुन्य दिनांक 04.08.2016 एवं दिनांक 09.08.2016 की समीक्षा में यह पाया गया कि राजस्व क्षति से संबंधित इस गंभीर मामले में आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपवार स्थिति स्पष्ट नहीं की है एवं राजस्व वसूली के संबंध में भी सही ढंग से तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। तदुपरांत मामले की वृहद् जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12687 दिनांक 19.09.2016 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9446 दिनांक 17.07.2018 द्वारा श्री शिव शंकर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–630/11 को निलंबन मुक्त किया गया तथा श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15232 दिनांक 23.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद को निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(I) ''देय तिथि से प्रोन्नति पर 05 वर्षो तक रोक'', एवं

(II) ''तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक''

(III) ''निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा''

5. उक्त कंडिका–4(III) के आलोक में विभागीय पत्रांक 17149 दिनांक 31.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में निर्णय लेने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) के सुसंगत प्रावधानों के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोंपरांत श्री प्रसाद द्वारा निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

6. श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत ही उन्हें ''देय तिथि से प्रोन्नति पर पांच वर्षों तक का रोक तथा तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दंड संसूचित किया गया है।

7. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री शिव शंकर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–630/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1269-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in